न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर चिखली जिला डूंगरपुर

श्री कन्हैयालाल पिता भाणजी यादव बनाम श्री कचरू पिता भुरा वगैरा

पत्रावली संख्या– 04/24

किस्म मुकदमा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनायें जारी की गई
01.10.2025	दिनांक 01.10.2025 को पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकार उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में उभय पक्ष ने लिखित बहस पेश की । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि हम वादीगण के नाम से खसरा नम्बर 1094/115 रकबा 0.3236 के हम रिकॉर्डेड मालिक है। हमारे द्वारा 25.06.2022 को सीमांकन कराया गया था, जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं कर हस्ताक्षर किये गये थे। इस प्रकार हमारी खातेदारी भूमि में कृषि कार्य करते आ रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा जब हम मौके पर जाते है तो विवाद व लडाई झगडा किया जाता है। हमारी जमीन को खुर्द–बुर्द किया जा रहा है। जबरन अतिक्रमण करते है। अतः प्रार्थी की रिकॉर्डेड भूमि पर अप्रार्थीगण कृषि कार्य में रूकावट पैदा न करें और न ही लडाई झगडा करें। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि व प्रार्थी को अपने खातेदारी आराजी में काश्त करने में रूकावट पैदा न तो स्वयं करे न ही अपने किसी मित्र, एजेण्ट से करावें। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि हम प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर 50 वर्षों से अपना मकान व खेतीबाडी कर अपना जीवन यापन कर रहे है। वादीगण रिकॉर्डेड मालिक होकर कब्जे का वाद लेकर आया है। हम प्रतिवादी ने कभी किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं किया है। सिर्फ नाम मात्र के आधार पर वादी ने वाद पेश किया है। आवंटन निरस्त करने का वाद एडीएम कोर्ट में दायर किया गया है। सीमांकन द्वारा वास्तविक कब्जा किसका है व दर्शित नहीं किया गया है। वादी का उक्त विवादित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है। पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के वकील की बहस सुनी। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की आराजी है। अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा हक नहीं है। ऐसे में दोनों पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाना आवश्यक है, क्योंकि प्रथम दृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलित की दृष्टि से प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसे में मौके की स्थिति में परिवर्तन किये जाने पर वाद विविधता बढ़ेगी तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर इस बात के लिए पाबंद किया जाते हैं कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी की खातेदारी आराजी मौजा नोलियावाडा में खाता संख्या 16 खसरा नम्बर 1094/115 खेत किता 1 कुल रकबा 0.3236 है0 भूमि में दोनों पक्ष मौके की यथास्थिति बनाए रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर चिखली	